(194) (70)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक R. 5329-दो/16

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES | 10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES | 10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES Rs.30/-

R5329-II/16 कैलाश प्रसाद तिवारी तनय वंशधारी प्रसाद ब्राम्हण उम्र– 65 वर्ष निवासी ग्राम कर्थुआ थाना जियावन, तह0 चितरंगी जिला सिंगरौली (म0प्र0)...........**आवेदक / निगरानीकर्ता**

बनाम

1. रामचरण पिता सूर्यलाल पनिका निवासी ग्राम कर्थुआ थाना जियावन, तह0 चितरंगी जिला सिंगरौली (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन ....**अनावेदकगण / गैर निगराकार गण**

द्वितीय निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली के प्र.क. 91 / निगरानी / 2011–12 आदेश दिनांक 10.10.2012

द्वितीय निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता द्वारा पेश। 20-07-2016

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैः–

1– यह कि ग्राम कर्थुआ, तहसील चितरंगी सिंगरौली में स्थित भूमि नया नम्बर खसरा क्र. 807, रकवा 1.00 एवं खसरा क्र.808 रकवा 1.00 ए0 में बंटन प्रकरण क्र. 262 / अ / 19(1) वर्ष 1974–75 आदेश दिनांक 04.02.77 से ही निगराकार उक्त भूमियां जो बंजर, ऊबड़, खाबड़ किस्म की थी को सुधार कर मेड़, मिट्टी डालकर उपजाऊ बनाकर खेती कर रहा है। खसरे में निगराकार का काम कब्जा, काश्त के रूप में बंटन में दर्ज किया गया, काबिज काश्त के रूप में दर्ज होकर चला आ रहा था।

2– यह कि गैर निगराकार क्र. 1 जिसके नाम पर पूर्व में बंटन मे किया गया था। गैर निगराकार क्र. 1 उक्त भूमियों पर काश्तकारी कभी नहीं किया, उसे अन्य ग्राम धवई गोकुल ग्राम चितरंगी में प्राप्त भूमियों पर कास्तकारी पाये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर बैढ़न, सीधील (वर्तमान सिंगरौली) के निगरानी प्र.क्र. 69 / निग. / 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 08.03.2006 द्वारा आवंटितियों की पात्रता एवं मौके पर कब्जे कास्त के संदर्भ में जांच की जाने एवं अपात्र आवंटिती एवं ऐसे आवंटिती जिनका कब्जा कास्त

कैलाश प्रसाद

(70)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक RS 329-II/16 जिला– सिंगरौली

कैलाश प्रसाद तिवारी विरूद्ध रामचरण पनिका

(1)	(2)	(3)
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अपर कलेक्टर,~~ जिला................ के प्रकरण क्रमांक 9/निग०/11-12 में पारित आदेश दिनांक 10-10-12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-3-2019 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	